राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 65वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 को 11:00 बजे डॉ. डी.एस. बल, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. एम. एल. नायक, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री संजय शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेण्डा कमांक – 1 **दिनांक 01/08/2016 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 64वीं बैठक दिनांक 01/08/2016 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा कमांक – 2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 एवं 28/07/2016 की अनुशंसा के आधार पर गौण खनिजों एवं परियोजनाओं के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

निम्नानुसार प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया गया:–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत हाराडुला, ग्राम–हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (466)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 55594 /2016, यह आवेदन दिनांक 06/06/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2934/खनि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 09/06/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1267, ग्राम–हाराडुला, ग्राम पंचायत हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,20,000 घनमीटर /वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत हाराडुला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला– उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 117E/खनिज/रेत (मूल)/2016 कांकेर दिनांक 17/05/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 01 खदान सराधूनवागांव रकबा 6.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–हाराडुला) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–हाराडुला) को मिलाकर कुल रकबा 12.0 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–हाराडुला 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग 5.0 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 से 6.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 180 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 340 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,20,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री महेन्द्र गावड़े, सरपंच एवं श्री सचिव पोया, सचिव, ग्राम पंचायत हाराडुला तथा श्री आदित्य कुमार मानकर, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 117E/खनिज/रेत (मूल)/2016 कांकेर दिनांक 17/05/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 01 खदान सराधूनवागांव रकबा 6.0 हेक्टेयर है। सराधूनवागांव रेत खदान हाराडुला रेत खदान की सीमा से 800

मीटर की दूरी पर है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–हाराडुला) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत हाराडुला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 1267, ग्राम–हाराडुला, ग्राम पंचायत हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 1267, ग्राम–हाराडुला, ग्राम पंचायत हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत मनवारी, ग्राम–डांडहसवाही, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (471)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 56883/2016, यह आवेदन दिनांक 30/06/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 683/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 28/06/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 12/07/2016 है।
- प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 542, ग्राम–डांडहसवाही, ग्राम पंचायत मनवारी, तहसील–मनेन्द्रगढ़,

जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 8.49 हेक्टेयर में है। उत्खनन केवई नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 40,000 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत मनवारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 682/खनिज/रेत/2016 कोरिया, दिनांक 28/06/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– कोरिया, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–डांडहसवाही है। स्कूल ग्राम–डांडहसवाही 200 मीटर, अस्पताल ग्राम–केलहरी 3.0 कि.मी. एवं मंदिर ग्राम–डांडहसवाही 200 मीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26.0 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 3.0 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 75 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 100 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 169800 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री रामलखन सिंह, संरपच एवं श्री अनिल कुमार ठाकुर, सचिव, ग्राम पंचायत मनवारी तथा श्री आशिष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 542, रकबा– 8.49 हेक्टेयर, क्षमता– 40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 895 दिनांक 24/07/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र क्रमांक 2559 दिनांक 07/09/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारीः–** जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 682/खनिज/रेत/2016 कोरिया, दिनांक 28/06/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम– डांडहसवाही) का रकबा 8.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
4. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
5. ग्राम पंचायत मनवारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। केवई नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 542, ग्राम–डांडहसवाही, ग्राम पंचायत मनवारी, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 8.49 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 40,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 542, ग्राम–डांडहसवाही, ग्राम पंचायत मनवारी, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 8.49 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 40,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

3. **सरपंच, ग्राम पंचायत तेन्दुडांड, ग्राम– तेन्दुडांड, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (472)**

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57005/2016, यह आवेदन दिनांक 02/07/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 452/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 06/06/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 12/07/2016 है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 348, ग्राम–तेन्दुडांड, ग्राम पंचायत तेन्दुडांड, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 5.03 हेक्टेयर है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 67,905 घनमीटर / वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत तेन्दुडांड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 451/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 06/06/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– कोरिया, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मनेन्द्रगढ़ 3.0 मीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.50 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 1.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 75 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 93 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 67,905 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राय सिंह, संरपच, ग्राम पंचायत तेन्दुडांड एवं श्री आशिष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 348, रकबा– 5.03 हेक्टेयर, क्षमता– 34,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 275 दिनांक 01/05/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 329 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 451/खनिज/रेत/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 06/06/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम– तेन्दुडांड) का रकबा 5.03 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
4. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
5. ग्राम पंचायत तेन्दुडांड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 348, ग्राम–तेन्दुडांड, ग्राम पंचायत तेन्दुडांड, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 5.03 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 348, ग्राम–तेन्दुडांड, ग्राम पंचायत तेन्दुडांड, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया, कुल लीज क्षेत्र 5.03 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द, ग्राम–पलाडीखुर्द, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा (473)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57036/2016, यह आवेदन दिनांक 04/07/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4043/ख.लि./2016 जांजगीर, दिनांक 14/01/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है एवं मूलप्रति प्राप्ति दिनांक 12/07/2016 है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 01, ग्राम–पलाडीखुर्द, ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सोन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 60,000 घनमीटर / वर्ष है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– जांजगीर चांपा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1765/ख.लि./2015 जांजगीर, दिनांक 30/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–पलाडीखुर्द 0.5 कि.मी. दूर है। शासकीय स्कूल 0.5 कि.मी. एवं शासकीय अस्पताल 6.0 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – औसत 4.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 85 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 120 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 2,40,000 घनमीटर

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।
- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए सरपंच / सचिव उपस्थित नहीं हुये। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती शबीना टंडन, खनि निरीक्षक द्वारा समिति से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा इसे मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– जांजगीर चांपा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 1765/ख.लि./2015 जांजगीर, दिनांक 30/11/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम– पलाडीखुर्द) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सोन नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श

उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 01, ग्राम–पलाडीखुर्द, ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 01, ग्राम–पलाडीखुर्द, ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

5. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड राजनांदगांव (अटल विहार योजना पेण्ड्री), ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला–राजनांदगांव (461)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी / 55160 /2016, यह आवेदन दिनांक 01/06/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/06/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खसरा नं. 738/1 (I), ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला–राजनांदगांव में **"अटल विहार योजना"** के नाम से प्रस्तावित है। कुल भू–क्षेत्र 7.05 हेक्टेयर तथा कुल बिल्टअप एरिया 34483.96 वर्गमीटर है।
- **प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, फार्म 01ए एवं कन्सेप्चुअल प्लान प्रस्तुत किये गये हैं।
- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 197वीं बैठक दिनांक 14/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं भूमि संबंधी दस्तावेज की जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 199वीं बैठक दिनांक 25/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सी.एस. बेलचंदन, कार्यपालन अभियंता, श्री के. अजय नायडू, सहायक अभियंता एवं श्री डी.के. पटेल, उप अभियंता उपस्थित थे। समिति समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अग्रिम आधिपत्य के आधार पर भूमि ली गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 06/06/2016 के द्वारा खसरा नं 738/1 का भाग, रकबा 18 एकड़ की भूमि आंबटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. कुल उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल एवं विभिन्न कार्यकलापों में बताए गए क्षेत्रफल का मिलान नहीं हो रहा है।

3. उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधन उपरांत पृथक से दिनांक 27/07/2016 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि दिनांक 27/07/2016 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जावे।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सी.एस. बेलचंदन, कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. यह हाउसिंग प्रोजेक्ट शासकीय भूमि के खसरा नं. 738/1(I), पटवारी हल्का नं. 23, ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला–राजनांदगांव में **"अटल विहार योजना"** के नाम से प्रस्तावित है। कुल भू–क्षेत्र 7.05 हेक्टेयर (17.423 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 34404.32 वर्गमीटर है।

2. बिल्डिंग 03 फ्लोर का होगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया 16892.58 वर्गमीटर, फर्स्ट फ्लोर का 6349.38 वर्गमीटर, सेकेंड फ्लोर का 5581.18 वर्गमीटर एवं थर्ड फ्लोर का 5581.18 वर्गमीटर है।

3. कुल उपलब्ध भूमि 70511.53 वर्गमीटर, सेटबेक 'बफर जोन ऑफ डेड केनाल' 3418.30 वर्गमीटर (4.85 प्रतिशत), नेट प्लानिंग एरिया 67093.23 वर्गमीटर के अंतर्गत प्लानिंग एरिया फॉर हाउसिंग 42929.66 वर्गमीटर (60.88 प्रतिशत), इंटरनल रोड 16079.72 वर्गमीटर (22.80 प्रतिशत) एवं ग्रीन एरिया 8083.85 वर्गमीटर (11.46 प्रतिशत) है।

4. निकटतम आबादी ग्राम पेण्ड्री 02 कि.मी. एवं राजनांदगांव शहर 3.5 कि.मी. की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन राजनांदगांव 5.0 कि.मी. एवं रायपुर एअरपोर्ट 75 कि.मी. की दूरी पर है। शिवनाथ नदी 4.8 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है।

5. 05 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

6. परियोजना में प्रस्तावित रहवासी सुविधा एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग लगभग 3090 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

7. प्रोजेक्ट हेतु 402 घनमीटर/दिन जल का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल निकासी की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई है।

8. विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत लगभग 377 कि.ली/दिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो– डाइजेस्टर लगाया जायेगा। लगभग 240 कि.ली. / दिन उपचारित दूषित जल का उपयोग हार्टिकल्चर एवं अन्य कार्यों में किया जायेगा तथा शेष 62 कि.ली./दिन ड्रेन में निस्सारित करना प्रस्तावित है।

9. उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 1497.81 कि.ग्रा/दिन होगी। रेसीडेन्शियल कॉम्पलेक्स में 1590.11 किलोवॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है, जिसका स्त्रोत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड होगा।

10. रेनवॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. स्वीकृत ले–आउट में नाला के किनारे दर्शित बफर जोन (क्षेत्रफल 3418.30 वर्गमीटर) में भी सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सड़क के किनारे, गार्डन के चारों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा। इस प्रकार वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 8083.85 + 3418.30 वर्गमीटर कुल 11502.15 होगी।

12. कालोनी विकासोपरांत विभिन्न जगहों पर ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु 2 बिन पद्धति अपनायी जावेगी एवं नियमानुसार अपवहन किया जावेगा।

13. सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 738/1 (I), ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल भू–क्षेत्र 7.05 हेक्टेयर (17.423 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 34404.32 वर्गमीटर (बिल्टअप एरिया – ग्राउंड फ्लोर 16892.58 वर्गमीटर, फर्स्ट फ्लोर 6349.38 वर्गमीटर, सेकेंड फ्लोर 5581.18 वर्गमीटर एवं थर्ड फ्लोर 5581.18 वर्गमीटर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 738/1 (I), ग्राम–पेण्ड्री, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल भू–क्षेत्र 7.05 हेक्टेयर (17.423 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 34404.32 वर्गमीटर (बिल्टअप एरिया – ग्राउंड फ्लोर 16892.58 वर्गमीटर, फर्स्ट फ्लोर 6349.38 वर्गमीटर, सेकेंड फ्लोर 5581.18 वर्गमीटर एवं थर्ड फ्लोर 5581.18 वर्गमीटर) हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

1. Open spaces shall be used for community sports ground, garden and the like.
2. Project proponent shall obtain prior consent letter from concerning Municipal Corporation / Local Authority for disposal of municipal solid wastes generated to ensure disposal of solid wastes as per Solid Wastes (Management) Rules, 2016.

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

6. मेसर्स बीईसी फर्टिलाईजर्स (यूनिट ऑफ भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड), इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम–सिरगिट्टी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (419)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी2/ 51049/2016, यह आवेदन दिनांक 04/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक से दिनांक 17/03/2016 को प्राप्त हुआ है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 28/04/2015 को प्रोडक्ट मिक्स में परिवर्तन के तहत् क्रोमिक एसिड–2100 टन/वर्ष, बेसिक क्रोमियम सल्फेट–4500 टन/वर्ष एवं सैचरिन–300 टन/वर्ष हेतु

टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम–सिरगिट्टी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर हेतु आवेदन किया गया था। कुल प्लाट एरिया 47.66 एकड़ है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 8.50 करोड़ है।

- एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 5(एफ) का स्टैण्डर्ड टीओआर (औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण से लोक सुनवाई आवश्यक नहीं) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

- **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन** :– परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/03/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** :– मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2015 से 31 दिसम्बर 2015 के मध्य किया गया है। 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 08 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ ग्राम कनार के पास न्युनतम 11.4 एवं ग्राम बनाक में अधिकतम 26.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ ग्राम भाटापारा में न्युनतम 27.1 तथा प्लांट साईट पर अधिकतम 62.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ ग्राम भाटापारा में न्युनमत 9.1 तथा प्लांट साईट पर अधिकतम 17.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया है। इसी प्रकार एन.ओ.$_{एक्स}$ ग्राम भाटापारा में न्युनतम 11.1 तथा प्लांट साईट में अधिकतम 19.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। सतही जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रातों से एकत्रित जल नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 43.3 से 55.4 डी.बी.ए. के मध्य दिन में एवं 40.4 से 52.2 डी.बी.ए. के मध्य रात्रि के दौरान पाया गया है।

- **उद्योग की अन्य जानकारी** :– उद्योग की कुल भूमि 47.66 एकड़ है, जिसमें बिल्टअप एरिया 12.15 एकड़ एवं प्रस्तावित कियाकलाप 2.15 एकड भूमि में किया जावेगा। खाली भूमि 15.03 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट एवं ग्रीन कव्हर एरिया 18.35 एकड़ भूमि पर किया गया है। आंतरिक मार्गो का पक्कीकरण किया गया है। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जावेगी।

- **रॉ–मटेरियल संबंधी जानकारी** :–

1. **क्रोमिक एसिड** – सोडियम बाई क्रोमेट (एनहाईड्रस) – 3000 टीपीए एवं सल्फ्युरिक एसिड – 2250 टीपीए
2. **बेसिक क्रोमियम सल्फेट**– सोडियम बाई क्रोमेट – 2000 टीपीए एवं सल्फ्युरिक एसिड – 2100 टीपीए
3. **सैचरिन –आर्थो टाल्युईन सल्फोनामाईड**– 300 टीपीए, पोटेशियम परमेग्नेट– 0.2 टीपीए, सोडियम बाई क्रोमेट – 600 टीपीए, सोडियम मेटा बाई सल्फाईट – 1.0 टीपीए, सल्फ्युरिक एसिड– 1600 टीपीए, चारकोल– 1.5 टीपीए एवं सोडा एश– 180 टीपीए

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार –** एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दिलीप गोवर्धन, ए.जी.एम., श्री फाल्गुनी चौधरी, प्लांट एण्ड टेकनिकल कन्सल्टेट, सलाहकार मेसर्स विमता इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री राघव राव एवं बीएच दुर्गा भवानी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. प्रोजेक्ट हेतु 400 किलोवॉट घंटा बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। जिसका स्त्रोत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 1070 केवीए क्षमता के 02 डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
2. मोलासेस का उपयोग नहीं किया जावेगा। प्रोसेस में स्टीम के लिए बॉयलर स्थापित नहीं किया जायेगा। वेस्ट हीट बॉयलर से प्राप्त स्टीम का उपयोग किया जावेगा।
3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
4. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 60 घनमीटर/दिन (प्रोसेस हेतु 24 घनमीटर/दिन एवं डोमेस्टिक 36 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। अतिरिक्त जल की उपयोगिता हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 581 दिनांक 26/08/2015 द्वारा अनुमति लिया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि उद्योग से मोलासेस उपयोग न करने बाबत् घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे। चुंकि प्रस्तावित कार्यकलाप में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होना है। अतः इसके लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य के द्वारा उद्योग का निरीक्षण किये जाने का भी निर्णय लिया गया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य के द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02/07/2016 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25/07/2016 को प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार :–

1. The area marked for addition for proposed unit is almost a rectangular flat piece of land. It has on two sides, old sulphuric acid plant and on other two sides have clear roads with proper drainage.
2. The proposed area is free from any trees/ plants/ construction.

3. The campus has very good numbers on tree plantations. However it is suggested to plant trees along the southern boudry wall.
4. The upkeep and house keeping were good.
5. The planning for storage and handling of hazardeous chemicals is satisfactory.

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कुल प्लाट एरिया 47.66 एकड़, क्रोमिक एसिड– 2100 टन/वर्ष, बेसिक क्रोमियम सल्फेट– 4500 टन/वर्ष एवं सैचरिन– 300 टन/वर्ष, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम–सिरगिट्टी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये कुल प्लाट एरिया 47.66 एकड़, क्रोमिक एसिड– 2100 टन/वर्ष, बेसिक क्रोमियम सल्फेट– 4500 टन/वर्ष एवं सैचरिन– 300 टन/वर्ष, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम–सिरगिट्टी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

7. मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड (हर्षित लैण्डमार्क), रिंग रोड नं. 02, ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर (393)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी / 49534 /2016, यह आवेदन दिनांक 15/02/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/02/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक रेसीडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खसरा नं. 563/1, 565, 567, 570, 571, 572, 581/21, 592, 593, 594, 595, 593/3 एवं 596/4, पटवारी हल्का नं. 103/34, ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर में प्रस्तावित है। कुल प्लाट एरिया–15530 वर्गमीटर (3.838 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 31894 वर्गमीटर है। इस प्रोजेक्ट में 01 बीएचके, 02 बीएचके एवं 03 बीएचके के कुल 698 यूनिट बनाया जाना प्रस्तावित है। रेसीडेन्शियल बिल्डिंग 10 मंजिला होगी। कुल पार्किंग एरिया 30668.46 वर्गमीटर होगा।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मल्टीस्टोरी रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, फार्म 01ए एवं कन्सेप्चुअल प्लान जमा कराये गये है। नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के पत्र कमांक 10687 दिनांक 23/07/2015 एवं शुद्धि पत्र कमांक 11846 दिनांक 13/08/2015 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति संलग्न की गई है। नगर पालिक निगम, रायपुर के पत्र कमांक 242 दिनांक 24/11/2015 द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति तथा लोक निर्माण विभाग के पत्र कमांक 9344 दिनांक 29/09/2014 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :–**
- **इकाई का विनियोग** – रूपये 48.0 करोड़
- निकटतम शहर रायपुर एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 6.0 कि.मी. एवं रायपुर एअर पोर्ट 20.0 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 4.5 कि.मी. की दूरी पर है।
- प्रोजेक्ट में कुल 409 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित है, जिसमें से 392 कि.ली./दिन फ्रेश वॉटर तथा 17 कि.ली./दिन उपचारित जल का पुनर्उपयोग किया जावेगा। जल की आपुर्ति 02 बोरवेल तथा रायपुर नगर निगम से की जावेगी।
- प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 337 किलोलीटर/दिन होगी, जिसके उपचार हेतु 300 केएलडी क्षमता के 02 नग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग हॉर्टिकल्चर, डी.जी. कूलिंग आदि कार्यों में किया जावेगा।
- रेसीडेन्शियल अपार्टमेंट के ऑपरेशनल स्टेज में 2162 किलोवॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 200 केवीए क्षमता के 03 नग डी. जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा कुल 1436 किलोग्राम/दिन होगी।
- ग्रीन बेल्ट 2222.26 वर्गमीटर में प्रस्तावित है।
- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 191वीं बैठक दिनांक 04/04/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/04/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सुबोध सिंघानिया, डायरेक्टर, श्री संदीप श्रीवास्तव, आर्किटेक्ट, श्री मनीष श्रीवास्तव, लिगल कन्सलटेंट एवं श्री जगदिश पारलकर, सी. ए. उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना का कार्य आरंभ किया जा चुका है। पोडियम को ग्रीन/ओपन स्पेस बताया गया है। नक्शे में वृक्षारोपण हेतु 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित बताया गया है।
2. जल प्रदाय व्यवस्था बाबत् नगर निगम को लिखे पत्र की प्रति मंगाया जावे।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट को दर्शाते हुये प्रस्ताव, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रस्ताव, सोलर एनर्जी एवं एलईडी लाईट्स की व्यवस्था, सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट का प्रस्ताव/डिस्पोजल का प्लान आदि संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही दो सदस्यीय उपसमिति श्री एन. आर. यादव, सदस्य एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, एस.ई.

ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जो निम्नानुसार है:–

1. कुल 2862 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जो कुल एरिया का 18.43 प्रतिशत है। इसमें से 1776 वर्गमीटर (कुल एरिया का 12 प्रतिशत) में वृक्षारोपण एवं 1086 वर्गमीटर (कुल एरिया का 6.43 प्रतिशत) में लॉन एवं लेण्ड स्केपिंग किया जावेगा।
2. प्रोजेक्ट हेतु 444.43 घनमीटर/दिन (डोमेस्टिक हेतु 248.88 घनमीटर/दिन, फ्लशिंग 125.55 घनमीटर/दिन, फ्लोर वाशिंग एवं कॉमन एरिया वाशिंग 45 घनमीटर/दिन तथा हार्टिकल्चर 25 घनमीटर/दिन) जल का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई है।
3. सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट –फ्लुडाईज्ड मीडिया रियेक्टर (एफ.एम.आर.) / मेम्बरेन बायो रियेक्टर (एम.बी.आर.) तकनीक पर आधारित होगा। परियोजना से कुल 351 कि.ली. प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। उपचार पश्चात् 130 कि.ली. प्रतिदिन दूषित जल निस्सारित किया जाना प्रस्तावित है। शेष उपचारित जल का उपयोग वॉशिंग, हॉर्टिकल्चर एवं फ्लशिंग में किया जावेगा।
4. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा कुल 1406.45 किलोग्राम/दिन है, जिसे कलेक्शन बिन के माध्यम से एकत्रित किया जाकर डाउन स्ट्रीम कन्ज्यूमर्स/डिस्पोजल साईट में भेजा जायेगा। डोर–टू–डोर कलेक्शन किया जावेगा। थ्री बिन कलेक्टिंग सिस्टम अपनाया जावेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट हेतु तीन नग ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर्स की स्थापना की जावेगी। रिसाईक्लेबल वेस्ट को रिसाईकल किया जावेगा।
5. कुल 04 नग 88/28 का रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लगाया जाना प्रस्तावित है। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पिट का आयतन 28.26 घनमीटर है। स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज का आयतन 88 घनमीटर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञा अनुसार कुल बिल्टअप एरिया 31,861.72 वर्गमीटर दर्शाया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 10/05/2016 के माध्यम से जल प्रदाय व्यवस्था बाबत् नगर निगम को लिखे पत्र (नगर पालिका निगम, रायपुर से घरेलू उपयोग के जल प्रदाय के संबंध में प्रमाण पत्र एवं नगर पालिका निगम, रायपुर के नालियों में ट्रीटेड वाटर की निकासी हेतु अनापति प्रमाण पत्र एवं नगर पालिका निगम, रायपुर से इनर्ट वेस्ट को चुनने बाबत् अनापति प्रमाण पत्र) की प्रति संलग्न की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री एन. आर. यादव, सदस्य एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य के द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 25/05/2016 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26/07/2016 को प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार :–

1. प्रस्तावित परियोजना का कार्य आंरभ किया गया है। जिसके तहत प्रस्तावित कॉलोनी के चारों तरफ बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है तथा इसके किनारे से कुछ स्थानो पर कतार में पेड़–पौधे लगे हुए है।

2. प्रस्तावित परियोजना में एक लगभग 800 वर्ग फीट का हॉल बना है। जिसमें पार्टीशन कर आफिस का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त जमीन पर पूर्व से ही हॉल निर्मित था। जिसके सामने एक छोटा सा लॉन विकसित किया गया है।

3. प्रस्तावित परियोजना में एक से डेढ़ मीटर का गहरा गढ्ढा पाया गया इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आने वाले निर्माण कार्य हेतु जल संग्रहण के लिए इस टैंक का निर्माण किया जा रहा है।

4. निरीक्षण दिवस दिनांक 25/05/2016 को निर्माण कार्य बंद पाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एस.ई.ए.सी., छ.ग. की 195वीं बैठक के दौरान दिये गये निर्देश के बाद उन्होनें निर्माण कार्य तुरन्त बंद कर दिया है। इस आशय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ–पत्र भी निरीक्षण उपसमिति को दिया गया है।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 27/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 563/ 1, 565, 567, 570, 571, 572, 581/21, 592, 593, 594, 595, 593/ 3 एवं 596/ 4, पटवारी हल्का नं. 103/ 34, ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर, कुल प्लाट एरिया–15530 वर्गमीटर (3.838 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 31,861.72 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 563/ 1, 565, 567, 570, 571, 572, 581/21, 592, 593, 594, 595, 593/ 3 एवं 596/ 4, पटवारी हल्का नं. 103/ 34, ग्राम–हीरापुर, तहसील व जिला–रायपुर, कुल प्लाट एरिया–15530 वर्गमीटर (3.838 एकड़) तथा कुल बिल्टअप एरिया 31,861.72 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

8. मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन, ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (245)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 35834 /2015, यह आवेदन दिनांक 24/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता के द्वारा दिनांक 30/12/2015 को प्राप्त हुआ है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान खसरा नं. 253/2 एवं 253/3, कुल लीज क्षेत्र 2.428 हेक्टेयर (6.0 एकड़) ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–7,550 घनमीटर/वर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 50,00,000 नग/वर्ष है। भूमि श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता के नाम पर है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी उत्खनन एवं ईंट निर्माण इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत उपरकछार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), रायगढ़ (छ.ग) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 12/खनि.शा./2015 जशपुर दिनांक 09/01/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज खदानों की संख्या निरंक है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कुल एवं मंदिर 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अस्पताल 1.0 कि.मी. दूर ग्राम–लटबोरा में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीजडीड श्री विष्णु प्रसाद आत्मज श्री बिन्देश्वरी प्रसाद के नाम से है। लीज की अवधि 05/01/2011 से 04/01/2016 अर्थात विगत 05 वर्षों तक की थी।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 48,560 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 41,600 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारो तरफ 01 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। 2,850 वर्गमीटर भू–भाग में उत्खनन हो चुका है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 2.0 मीटर है। फिक्सड् चिमनी टाईप ईंट भट्टे का क्षेत्रफल लगभग 1640 वर्गमीटर है। चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। कोयले की खपत लगभग 900 टन/वर्ष होगी। राख का पुर्नउपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। लगभग 40 प्रतिशत राख ईंट बनाने हेतु मिट्टी में मिलाया जाता है। ईंट के टुकड़ों को भी फिलिंग उपयोग/विक्रय किया जाता है। जल खपत लगभग 6 किलो लीटर/दिन है। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जायेगा। उत्खनन मानव श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। लीज क्षेत्र से नदी, नाला, तालाब आदि में दूषित जल की निकासी नहीं की जावेगी। वर्षवार उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:–

पहले पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष	3775	2.0	7550
द्वितीय वर्ष	3775	2.0	7550
तृतीय वर्ष	3775	2.0	7550
चतुर्थ वर्ष	3775	2.0	7550
पंचम वर्ष	3290	2.0	6580
कुल	**18390**	–	**36780**

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/02/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 183वीं बैठक दिनांक 16/02/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता, परियोजना प्रस्तावक एवं श्री योगेश्वर सिंह, आर. क्यू. पी. उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 12/खनि.शा./2015 जशपुर दिनांक 09/01/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज खदानों की संख्या निरंक है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत उपरकछार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तुतिकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लगभग 130 लाख ईंटों का उत्पादन किया गया है। भूमि में कहीं–कहीं पर मिट्टी का माण्ड था, जिसे कटिंग किया गया है। कुल मिट्टी की कटिंग 3.0 मीटर की माना जावे तो 130 लाख ईंटों के उत्पादन हेतु (130X150 घनमीटर/लाख की दर से) 19500 घनमीटर मिट्टी लगेगी। 3.0 मीटर गहराई (1.0 मीटर माण्ड + 2.0 मीटर गहराई को मिलाकर) के आधार पर 6500 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होने की संभावना है, जबकि आवेदन में उत्खनन 2850 वर्गमीटर बताया गया है। तत्संबंध में विसंगति बाबत् आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। साथ ही पूर्व खनित क्षेत्र में जलाशय होना बताया गया है। प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के आधार पर पूर्व खनित क्षेत्र में जलाशय की गहराई 2.0 मीटर से ज्यादा लगती है। माईनिंग प्लान में 4.0 मीटर गहराई तक उत्खनन बताया है, जबकि प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल गहराई 2.0 मीटर बताई गई।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि एक सदस्यीय उपसमिति श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा खदान स्थल का निरीक्षण किया जावेगा। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एक सदस्यीय उपसमिति श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 29/03/2016 को खदान स्थल का निरीक्षण किया गया। उप समिति द्वारा दिनांक 04/04/2016 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 191वीं बैठक दिनांक 04/04/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि निरीक्षण के मुख्य बिन्दु / निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

1. खदान का कुल लीज क्षेत्र 2.428 हेक्टेयर है जिसकी सीमा के चारों कोनों पर लगभग 1.5 मीटर ऊंचे बाउण्ड्री पिलर्स है।
2. खदान के पूर्व एवं उत्तर सीमा पर कांटो वाले तार लगे हैं। पश्चिम की सीमा पर श्रमिकों के लिये मकान है। दक्षिण दिशा की सीमा खुली है।
3. खदान में उत्खनन पश्चात् समतलीकरण कर दिया गया है। स्थल सपाट लगता है जिसका स्लोप पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्षेत्र में खनन की गहराई कहीं 0.4 मीटर व कहीं 0.6 मीटर के लगभग है। अतः औसत गहराई 0.5 मीटर ली जा सकती है।
4. खदान के उत्तर पश्चिम में रिजर्ववायर है, जिसकी गहराई 2.0 से 2.5 मीटर के लगभग है।
5. माईनेबल रिजर्व की गणना में कितना खनन हो चुका है, उसे नहीं दिखाया गया है, जबकि औसत 0.5 मीटर गहराई तक खनन हुआ है। अतः माईनेबल रिजर्व की वास्तविक गणना कराकर माईनिंग प्लान में संशोधन कराना आवश्यक है।

6. इस प्रस्ताव के पहले परियोजना प्रस्तावक ने 130 लाख ईटों का उत्पादन किया है, जिसमें उपयोग में लाई गई मिट्टी की गणना सही नहीं की है व उसे माईनेबल रिजर्व की गणना में कम भी नहीं किया है। इसका सही आंकलन करना आवश्यक है।
7. माईनिंग प्लान में शुरू करने के पहले कहीं–कहीं पर 1.0 मीटर ऊंचे मेड़ होने एवं कहीं–कहीं 4.0 मीटर तक Excavation (गड्ढे) करने का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक 4.0 मीटर तक के खनन से इंकार करता है एवं कहता है कि कहीं–कहीं पर खनन शुरू करने के पहले गड्ढें मिट्टी की गहराई जानने के लिये कराये गये थे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि निरीक्षण के मुख्य बिन्दु जो उठाये गये हैं, उनको समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 267 दिनांक 13/05/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दिनांक 25/06/2016 को प्रस्तुत की गई है।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), रायगढ़ (छ.ग) द्वारा अनुमोदित है।

2. जियोलॉजिकल रिजर्व 24,280 वर्गमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 31,860 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक ने अपने स्पष्टीकरण में पूर्व में 130 लाख ईटों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार 3000 घनमीटर मिट्टी से 20,00000 नग ईंट निर्माण प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। माईनिंग प्लान को संशोधित कर क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी के आधार पर 05 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की अवधि तक 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्षवार मिट्टी उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

पहले पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष	2000	1.5	3000
द्वितीय वर्ष	2000	1.5	3000
तृतीय वर्ष	2000	1.5	3000
चतुर्थ वर्ष	2000	1.5	3000
पंचम वर्ष	2000	1.5	3000
कुल	**10000**		**15000**

पांचवे वर्ष के बाद की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
छठवे वर्ष	2000	1.5	3000
सातवे वर्ष	2000	1.5	3000

आठवे वर्ष	2000	1.5	3000
नौवे वर्ष	2000	1.5	3000
दसवे वर्ष	3240	1.5	4860
कुल	**11240**		**16860**

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 12/खनि.शा./2015 जशपुर दिनांक 09/01/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 2.428 हेक्टेयर (6.0 एकड़) है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

समिति के सदस्य श्री एस.के. जैन के द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 24/06/2016 एवं संशोधित माईनिंग प्लान के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 253/2 एवं 253/3, कुल लीज क्षेत्र 2.428 हेक्टेयर (6.0 एकड़) ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर में मिट्टी उत्खनन क्षमता–3000 घनमीटर/वर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 20,00,000 नग/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 253/2 एवं 253/3, कुल लीज क्षेत्र 2.428 हेक्टेयर (6.0 एकड़) ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर में मिट्टी उत्खनन क्षमता–3000 घनमीटर/वर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 20,00,000 नग/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

9. मेसर्स फुटहामुड़ा स्टोन क्वॉरी, (प्रो. श्री रविंद्र अग्रवाल) ग्राम–फुटहामुड़ा, तहसील–लैलुंगा जिला–रायगढ़ (220)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 34465/2015, यह आवेदन दिनांक 14/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री रविंद्र अग्रवाल के द्वारा दिनांक 02/01/2016 को प्राप्त हुआ है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित Siliceous Shale/Porecellainite खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 605, 606, 607, 608, 609, 6012, 613 एवं 614 ग्राम–फुटहामुड़ा, तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़ कुल लीज क्षेत्र 4.712 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 38,610 टन/वर्ष है। यह भूमि शासकीय है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित Siliceous Shale/Porecellainite खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत फुलीकुण्डा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की संख्या निरंक बतायी गयी है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –**

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–फुटहामुड़ा 1.0 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 68 कि.मी. की दूरी पर है। नाला लगभग 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3–32/2009/12 रायपुर दिनांक 06/08/2015 के द्वारा 10 वर्ष की कालावधि हेतु परियोजना प्रस्तावक को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
3. जीयोलॉजिकल रिजर्व 0.929 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 0.745 मिलियन टन है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8602 वर्गमीटर है। आवेदन अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 09 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। बेंच की उंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 13 मीटर की होगी। खदान में Siliceous Shale/Porecellainite के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट विधि का उपयोग किया जावेगा। खदान में ठोस अपशिष्टों की मात्रा 10 प्रतिशत होगी। इस अपशिष्ट का उपयोग सी. एफ.बी.सी. बायलर के बेड मटेरियल बनाने हेतु किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। जल की खपत 10 किलोलीटर प्रति दिन होगी। प्रस्तावित क्षेत्र में 775 वृक्ष लगाया जाना प्रस्तावित है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार –** परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 29/01/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 182वीं बैठक दिनांक 01/02/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अजय कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि, श्री भूपेन्द्र कश्यप, आर.क्यू.पी. एवं कुमारी पुष्पा साहू, जियोलॉजिस्ट उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** नवीन Siliceous Shale/Porecellainite खदान है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की संख्या निरंक बतायी गयी है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य गौण खनिज खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत का फुलीकुण्डा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. अनुमोदित माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में त्रुटियां पाई गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। परियोजना प्रस्तावक को समिति द्वारा विस्तार से त्रुटियों के संबंध मे अवगत कराया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर चौंड़ाई का क्षेत्र चारों ओर छोड़ते हुये तदानुसार सभी गणनाओं में आवश्यक सुधार कर पुनः अनुमोदित पुनरीक्षित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करे।

तदानुसार एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 182वीं बैठक दिनांक 01/02/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/04/2016 को अस्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि संशोधित माईनिंग प्लान बिना अनुमोदन के प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 452 दिनांक 24/06/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 29/06/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

  1. उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पत्र कमांक 173 दिनांक 08/06/2016 के द्वारा जानकारी दी गई है कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर द्वारा अनुमोदित खनन योजना के पृष्ट संख्या 21 पर कंडिका–3.6 की उपकंडिका (ए) में एरिया ब्लॉक इन माईनिंग लिमिट 75375 वर्गमीटर के स्थान पर 7357.5 वर्गमीटर एवं पृष्ट संख्या 22 पर माईनेबल रिजर्व की गणना में 0.90 के स्थान पर 0.95 पढ़ी जाये तथा इस खान का कुल खनिज संसाधन 0.929 मिलियन टन ही होगा।
  2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 4.712 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 605, 606, 607, 608, 609, 6012, 613 एवं 614, ग्राम–फुटहामुड़ा, तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्र 4.712 हेक्टेयर में Siliceous Shale/Porecellainite उत्खनन क्षमता – 38,600 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 605, 606, 607, 608, 609, 6012, 613 एवं 614, ग्राम–फुटहामुड़ा, तहसील–लैलुंगा, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्र 4.712 हेक्टेयर में Siliceous Shale/Porecellainite उत्खनन क्षमता – 38,600 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

10. मेसर्स जायसवाल नीको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (खैरा भाटगांव लाईम स्टोन माईन) ग्राम–खैरा भाटगांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (306)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 8679/2016, यह आवेदन दिनांक 13/01/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं श्री सुशांता कुमार मोइत्रा, प्रेसीडेन्ट के द्वारा दिनांक 28/11/2015 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित लाईम स्टोन माईन (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 450, ग्राम–खैरा भाटगांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 37500 टन/वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत खैरा (बी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सचिव के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अनुमोदित नहीं है। अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी दिनांक 04/03/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। इसकी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाणित जानकारी नहीं दी गई है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था 2.0 कि.मी. एवं अस्पताल 4.0 किमी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय मार्ग 27 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 8.0 कि.मी. की दूरी पर है।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. लीज मेसर्स नागपुर एलॉय कास्टिंग लिमिटेड के नाम पर है, जिसकी अवधि 07/03/1998 से 06/03/2018 अर्थात् 20 वर्षों तक की है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 4,05,875 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,99,050 टन है। भू–भाग के 2329 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। वर्तमान में उत्खनन की अधिकतम गहराई 3.0 मीटर है। बेंच की उंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 9.0 मीटर है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 9.0 मीटर है। विभिन्न प्रकियों में जल की खपत 37 घनमीटर प्रति दिन है। लीज क्षेत्र में क्रशिंग एवं स्क्रिनिंग ईकाई स्थापित है। ओव्हर बर्डन की गहराई 1.0 मीटर है। खदान से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा 4500 टन/दिन है। खदान में लाईम स्टोन के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि का उपयोग एवं कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जावेगा। गारलेण्ड ड्रेन चेकडेम के सहित प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु जल छिड़काव व्यवस्था की जावेगी। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

2014–15 से 2018–19 तक के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन योजना ROM (टन)
प्रथम वर्ष 2014–15	Lapse period of current Mining Scheme			
द्वितीय वर्ष 2015–16	5000	3.0	15000	37500
तृतीय वर्ष 2016–17	5000	3.0	15000	37500
चतुर्थ वर्ष 2017–18	5000	3.0	15000	37500
पंचम वर्ष 2018–19	5000	3.0	15000	37500
कुल	**20000**	–	**60000**	**150000**

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 190वीं बैठक दिनांक 02/04/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. पूर्व से संचालित खदान है, परंतु पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। इस बाबत् स्पष्टीकरण मंगाया जावे।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में सचिव के हस्ताक्षर नहीं है एवं सरपंच द्वारा किए गए हस्ताक्षर में दिनांक 14/01/2006 अंकित है, जबकि प्रस्ताव दिनांक 18/08/2002 का है। पारित प्रस्ताव में सचिव की उपस्थिति भी नहीं है। अतः ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जावे।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रस्तावित खदान की सीमा से 500 मीटर के परिधि में आने वाली अन्य स्वीकृत / संचालित खदानों के नाम एवं रकबे की प्रमाणित जानकारी मंगाया जावे।
4. अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया जावे।
5. समीपस्थ आबादी काफी नजदीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर बताई गई है। इस बाबत् वस्तुस्थिति की जानकारी नक्शे दर्शाकर प्रस्तुत किया जावे।
6. फार्म 1 में इस खदान को नई परियोजना बताई गई है, जबकि यह खदान पूर्व से संचालित है। इस बाबत् स्पष्टीकरण मंगाया जावे।
7. मेसर्स नागपुर एलॉय कास्टिंग लिमिटेड के नाम से लीज है, किन्तु नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बाबत् संबंधित दस्तावेज मंगाया जावे।
8. पूर्व वर्षो में उत्खनित वर्षवार मात्रा की प्रमाणित जानकारी नहीं दी गई है। इस बाबत् प्रमाणित जानकारी मंगाया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उल्लेखित बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी / दस्तावेज एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 29/04/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 193वीं बैठक दिनांक 03/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री एस. के. मोइत्रा एवं श्री एस सवेन, प्रेसिडेंट, श्री संजय श्रीवास्तव, जनरल मेनेजर तथा श्री पुरानिक, कन्सलटेंट उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. खदान का लीज क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर है। जो कि राजस्व भूमि है। समीपस्थ ग्राम खैरा है। खदान में सेमीमेकेनाईज्ड ओपन कास्ट पद्धति से उत्पादन किया जावेगा। खदान की अनुमानित आयु 10 वर्ष होगी। खदान में कुल माईनेबल रिजर्व 354032 टन है। जल खपत 37 घनमीटर प्रतिदिन अनुमानित है, जिसकी आपूर्ति समीपस्थ गांव के तालाब /नाले से की जावेगी। विगत वर्षों में अधिकतम उत्पादन वर्ष 2008 – 09 में 4709.57 मीट्रिक टन बताया गया है। अन्य वर्षों में उत्पादन अत्यन्त कम रहा है।
2. लीज मेसर्स नागपुर एलॉय कास्टिंग लिमिटेड के नाम से अनुमोदित है, किन्तु भारतीय खान ब्युरो नागपुर द्वारा मेसर्स जायसवाल नीको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से माईनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है। नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग को जमा किया गया है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव से खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान, 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वृक्षारोपण आदि जानकारियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 479 दिनांक 27/06/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दिनांक 01/07/2016 को प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार :–

- प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुमोदित कर प्रस्तुत कर दिया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 680 दिनांक 06/05/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- ग्राम पंचायत खैरा (बा.) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- वृक्षारोपण संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया।

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 680 दिनांक 06/05/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 4.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 450, ग्राम–खैरा भाटगांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर में लाईम स्टोन माईन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 37,500 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पार्ट ऑफ खसरा नं. 450, ग्राम–खैरा भाटगांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर में लाईम स्टोन माईन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 37,500 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

1. **Water of lake / pond shall not be used under any circumstances for industrial purpose. For use of water of nalla and / or ground water, prior permission from concerned authority shall be obtained.**

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

11. मेसर्स तुलेष कुमार राजपुत, ग्राम–जंगल धवलपुर, तहसील व जिला–गरियाबंद (206)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 33957 /2015, यह आवेदन दिनांक 07/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री तुलेश कुमार राजपुत के द्वारा दिनांक 17/12/2015 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 144 (पी) ग्राम–जंगल धवलपुर, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 3.44 एकड़ (1.38 हेक्टेयर) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 मीट्रिक टन/वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत जंगल धवलपुर एवं कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र धवलपुर (सा.) पूर्व रायपुर, वन मंडल रायपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री महिपाल सिंह कंवर, उप संचालक (खनि. प्रशासन), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–जंगल धवलपुर 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कुल एवं मंदिर ग्राम–जंगल धवलपुर 3.0 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 2.0 कि.मी. की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. लीजडीड श्री तुलेश कुमार राजपूत के नाम पर है। जो दिनांक 22/02/2013 से दिनांक 21/02/2023 तक 10 वर्षो तक की है। उत्खनन प्रारंभ नहीं किया गया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 2,58,750 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,09,913 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 08 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,160 घनमीटर है। जल की खपत 05 किलोलीटर प्रति दिन होगी। बेंच की उंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक होगी। क्रशर की स्थापना की गई है।
5. खदान में साधारण स्टोन के उत्खनन हेतु ओपन कॉस्ट विधि का उपयोग एवं कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जावेगा। वेट ड्रिलिंग किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

पहले पांच सालों की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	स्पेसिफिक ग्रेवीटी (टन/घनमीटर)	उत्पादन योजना (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	3000	1.0	3000	2.5	7500
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	670	1.5	1000	2.5	2500
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	1550	1.5	2326	2.5	5815
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	1120	1.5	1674	2.5	4185
कुल					**50000**

पांचवें वर्ष के बाद की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	स्पेसिफिक ग्रेवीटी (टन/घनमीटर)	उत्पादन योजना (टन)
छटवें वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
सातवें वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
आठवें वर्ष प्रथम बेंच	600	1.0	900	2.5	2250
आठवें वर्ष द्वितीय बेंच	2070	1.5	3100	2.5	7750
नौवें वर्ष प्रथम बेंच	2660	1.5	4000	2.5	10000
दशवें वर्ष प्रथम बेंच	2000	1.5	3000	2.5	7500
दशवें वर्ष द्वितीय बेंच	670	1.5	1000	2.5	2500
कुल					**50000**

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचारः–** परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 29/01/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.

ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 182वीं बैठक दिनांक 01/02/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री तुलेष कुमार राजपुत, प्रोपराईटर, श्री राजेश सोनकर, आर.क्यू.पी. एवं श्री योगेश्वर सिंह, आर.क्यू.पी. उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

- **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा नं.–144, रकबा–1.80 हेक्टेयर, क्षमता–12,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 2083 दिनांक 07/08/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 509 दिनांक 12/05/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत जंगल धवलपुर एवं कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र धवलपुर (सा.) पूर्व रायपुर, वन मंडल रायपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि खदान के सीमा से उदन्ती टाइगर रिजर्व लगभग 40 किलोमीटर दूर है। माईनिंग प्लान में वर्षवार जो उत्खनन बताया गया है, उसमें भिन्नताएं है। बेंचवार गणना करने पर क्षेत्रफल ज्यादा हो रहा है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रकरण में प्रस्तुतीकरण हेतु उन्हें समय दिया जावे।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से अभ्यारण्य / टाईगर रिजर्व / राष्ट्रीय पार्क एरिया की सीमा से प्रस्तावित खदान की सीमा की दूरी संबंधी प्रमाणित जानकारी वन मंडलाधिकारी, वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने एवं परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक का समय दिया जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को जानकारी एवं प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/03/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 186वीं बैठक दिनांक 09/03/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री तुलेष कुमार राजपुत, ओनर, श्री योगेश्वर सिंह एवं श्री राजेश सोनकर, आर. क्यू. पी. तथा कुमारी रानी गुप्ता, जियोलॉजिस्ट उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. कशर यूनिट 20 टीपीएच क्षमता का लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित है। लीज बाउंड्री में 7.5 मीटर चौड़ाई का वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण किया जाना होगा। जिसमें 900 से 1000 पौधे लगाया जा सकता है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उदंती टाईगर रिजर्व एरिया की सीमा से प्रस्तावित खदान की सीमा की दूरी संबंधी प्रमाणित जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि उपरोक्त उल्लेखित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 127 दिनांक 18/04/2016 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद द्वारा जानकारी दिनांक 25/06/2016 को प्रस्तुत की गई है।

उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद (छ.ग.) के पत्र कमांक 1257 दिनांक 14/05/2016 के द्वारा "ग्राम–जंगल धवलपुर, तहसील व जिला– गरियाबंद के निजी भूमि खसरा कं 144 रकबा 3.44 एकड़ (1.39 हेक्टेयर) क्षेत्र की उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व की दूरी रायपुर से देवभोग मुख्य राज्य मार्ग के उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के दक्षिण दिशा में बफर क्षेत्र तौरेंगा की दूरी 19 कि.मी एवं दक्षिण–पूर्व दिशा में बफर क्षेत्र कुल्हाड़ीघाट की दूरी 20.0 कि.मी है।" जानकारी प्रेषित की गई है।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया।

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 2685 दिनांक 19/06/2014 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 3.44 एकड़ (1.38 हेक्टेयर) है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 144 (पी), ग्राम–जंगल धवलपुर, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 3.44 एकड़ (1.38 हेक्टेयर) में साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 10,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 144 (पी), ग्राम–जंगल धवलपुर, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 3.44 एकड़ (1.38 हेक्टेयर) में साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 10,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

12. मेसर्स आर. आर. इस्पात (ए यूनिट आफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), उरला इण्ड. एरिया, ग्राम–उरला, जिला–रायपुर (429 A)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 10814/2016, यह आवेदन दिनांक 22/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/03/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 1,85,000 टन/वर्ष हेतु टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति

बाबत् आवेदन किया गया है। जो कि प्लॉट नं 490/1, उरला इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स, उरला जिला–रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर है। प्रोजेक्ट की संचालित इकाई की लागत रूपये 38.49 करोड़ है। क्षमता विस्तार से कैपिटल कास्ट में वृद्धि नही होना बताया गया है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओर.आर /पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** :–

1. उद्योग से समीपस्थ रेल्वे स्टेशन रायपुर 10 किलोमीटर तथा रायपुर एयरपोर्ट 20 किलो मीटर की दूरी पर है। समीपस्थ आबादी रायपुर शहर 8.0 किलोमीटर की दूरी पर होने की जानकारी दी गई है।
2. रोलिंग मिल में रॉ मटेरियल के रूप में माईल्ड स्टील बिलेट्स, स्लैब्स या ब्लूम्स– 196563 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। उद्योग में स्थापित चिमनी की ऊंचाई 44 मीटर है।
3. वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर स्थापित किया गया है। उद्योग द्वारा 12,000 सामान्य घनमीटर क्षमता के कोल गेसीफायर हेतु 16,650 टन/वर्ष कोयले का उपयोग किया जाना बताया गया है। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मि.ग्राम/सामान्य घनमीटर तक सीमित रखा जाना प्रस्तावित है।
4. फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्योग की रोलिंग मिल ईकाई से ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न मिल स्केल कुल मात्रा 320 टन/माह को अपनी फेरो/एसएमएस कुल इकाईयों में पुर्नउपयोग तथा क्लिंकर ऐष कुल 350 टन/माह को स्वयं के ब्रिक प्लांट एवं ब्रिक निर्माताओ को विक्रय किया जाएगा।
5. उद्योग को मेकअप वॉटर के रूप में 30 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी लिमिटेड से की जावेगी।
6. कुल 7.899 हेक्टेयर भूमि में से 2.808 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण की संख्या 4260 बताई गई है।
7. उद्योग को पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल 42,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पत्र दिनांक 06/01/2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए कोई भी उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा

तत्समय यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल 1,85,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन पर विचार करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 13/06/2016 को प्रस्तुत की गई है अतः इस प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किया जावे।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

13. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद (218)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 34372/2015, यह आवेदन दिनांक 12/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दिनांक 23/12/2015 को प्रस्तुत किया गया है।

  परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कुछ कमियां पाई गई थी। एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4588 दिनांक 23/01/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन दिनांक 25/01/2016 को जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट माईन (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 964, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 12.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 25,160 घनमीटर (60,006 टन) /वर्ष है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टजाइट माईन (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत बिरकोल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2777/क/ख.लि./न.क्र./2015 महासमुंद दिनांक 07/12/2015 के अनुसार 500 मीटर परिधि में 02 खदानें कुल रकबा 23.95 हेक्टेयर है। आवेदित क्वार्टजाइट माईन

(ग्राम–बिरकोल) का रकबा 12.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित क्वार्टजाइट माईन (ग्राम–बिरकोल) को मिलाकर कुल रकबा 35.95 हेक्टेयर है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –**

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बिरकोल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज मार्ग 4.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. **एलओआई की जानकारी** :– छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक एफ 4–11/2015/XII नया रायपुर, दिनांक जुलाई 2015 के द्वारा जारी किया गया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 95,40,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 56,88,225 टन है। उत्खनन की अधिकतम प्रस्तावित गहराई 9.0 मीटर होगी। बेंच की उंचाई 2 से 4 मीटर होगी। ओव्हर बर्डन एवं रीजेक्ट की मात्रा 33340 टन होगी। उत्खनन ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड् विधि से किया जायेगा। जल की खपत 10 किलोलीटर प्रति दिन होगी। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

पहले पांच सालों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	स्पेसिफिक ग्रेविटी (टन/घनमीटर)	उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	5000	2	10000	2.65	23850
	1700	4	6800	2.65	16218
द्वितीय वर्ष	6290	4	25160	2.65	60006
तृतीय वर्ष	6290	4	25160	2.65	60006
चतुर्थ वर्ष	6290	4	25160	2.65	60006
पंचम वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
कुल	**33956**	–	–	–	**280087**

पांचवें वर्ष के बाद प्रस्तावित उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	स्पेसिफिक ग्रेविटी (टन/घनमीटर)	उत्खनन (टन)
षष्ठम वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
सप्तम वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
अष्ठम वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
नवम वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
दसवां वर्ष	8386	3	25158	2.65	60001
कुल	41930	–	**125790**	–	**300005**

1. **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 191वीं बैठक दिनांक 04/04/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** नवीन क्वार्टजाइट माईन है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2777/क/ख.लि./न.क्र./2015 महासमुंद दिनांक 07/12/2015 के अनुसार 500 मीटर परिधि में 02 खदानें कुल रकबा 23.95 हेक्टेयर है। आवेदित क्वार्टजाइट माईन (ग्राम–बिरकोल) का रकबा 12.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित क्वार्टजाइट माईन (ग्राम–बिरकोल) को मिलाकर कुल रकबा 35.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से ज्यादा है।

3. माईनिंग प्लान में द्वितीय वर्ष से 10वें वर्ष तक उत्खनन की मात्रा बराबर बतायी गयी है, जो वैज्ञानिकीय एवं व्यवहारिकता के अनुसार संभव नहीं है। इस बाबत् स्पष्ट जानकारी एवं प्रतिवर्ष उत्खनन किये जाने वाले माईन पिट की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई की जानकारी नहीं दी गई है।

4. अनुमोदित माईनिंग प्लान की खुली प्रति जमा की गई है। इसकी बाईन्डेड प्रति जमा नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी एवं अन्य सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/04/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी तिथि निश्चित किया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु पत्र दिनांक 03/06/2016 के द्वारा अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 200वीं बैठक दिनांक 26/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री वेंकटेश्वर केडिया, डायरेक्टर एवं श्री जितेन्द्र तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि संशोधित माईनिंग प्लान में संशोधन करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि माईनिंग प्लान कब संशोधित किया गया है। श्री वेंकटेश्वर केडिया, डायरेक्टर द्वारा समिति से चाहे अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान दिनांक 28/07/2016 को प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान (सक्षम प्राधिकारी से दिनांक सहित हस्ताक्षरयुक्त) दिनांक 28/07/2016 तक प्रस्तुत करने का समय देने का निर्णय लिया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 201वीं बैठक दिनांक 28/07/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री वेंकटेश्वर केडिया, डायरेक्टर, श्री जितेन्द्र तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं श्री ए.के. जॉन, आर.क्यू. पी. उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

पहले पांच सालों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	उत्खनन आर ओ एम (टन)
प्रथम वर्ष	4800	18020
द्वितीय वर्ष	7000	27825
तृतीय वर्ष	8000	31799
चतुर्थ वर्ष	8400	33389
पंचम वर्ष	9000	35775

पांचवें वर्ष के बाद प्रस्तावित उत्खनन की योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	उत्खनन योजना (टन)
षष्ठम वर्ष	15000	59265
सप्तम वर्ष	15300	60816
अष्ठम वर्ष	15600	62010
नवम वर्ष	15900	63201
दसवां वर्ष	16200	66780

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 968/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद दिनांक 10/06/2016 के अनुसार आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में श्री अशोक पटेल निवासी बिरकोल को खसरा नं. 1186 रकबा 11.410 हेक्टेयर पर क्वार्टजाईट खनिज का उत्खनिपट्टा एवं श्री राजेश शर्मा निवासी रायपुर को खसरा नं. 892 रकबा 12.54 हेक्टेयर पर क्वार्टजाईट खनिज का उत्खनिपट्टा का सैद्धांतिक निर्णय (एल.ओ.आई.) लिया गया है। अतः उक्त आवेदित क्षेत्र में कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है, और न ही उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित खदान का रकबा 12 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान (सक्षम प्राधिकारी से दिनांक सहित हस्ताक्षरयुक्त) प्रस्तुत कर दी गई है।

4. बेंच की उंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3.0 मीटर होगी। गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी। ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।

5. लैंड युज पैटर्न संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 964, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 12.0 हेक्टेयर में क्वार्टजाइट माईन (गौण खनिज) क्षमता–25,000 घनमीटर (60,006 टन) /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 65वीं बैठक दिनांक 29/08/2016 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 964, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 12.0 हेक्टेयर में क्वार्टजाइट माईन (गौण खनिज) क्षमता–25,000 घनमीटर (60,006 टन) /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संजय शुक्ला)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. डी.एस. बल)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. एम.एल. नाईक)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ